न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 382/2018 (जीसीएमएस 2018/00375)

1. नोपा पुत्र टीकू उर्फ टीकूडा जाति जाट निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

---अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

अपील संख्याः 388/2018 (जीसीएमएस 2018/00390)

1. नोपा पुत्र टीकू उर्फ टीकूडा जाति जाट निवासी किशनगढ रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

---अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (तृतीय) जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 (अपील संख्या 70/2016) एवं आदेश दिनांक 31.08.2018 (रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 39/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु एक ही होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 521, 524/1, 539/2 जो सहखातेदारान् में बंटवारा होने से अपीलान्ट के हक में रहे जिसके मूल खसरा नम्बर 521, 524, 539 थे, जो सम्वत् 2011 से 2029 की राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के पिता टीकूडा पुत्र जीवण के नाम दर्ज रही, सम्वत् 2059 से 2062 की राजस्व

जमाबन्दी के दौरान अपीलान्ट के पिता टीकूडा फौत होने पर नामान्तरकरण विधिक जांच कर अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया, जो निरन्तर काबिज काश्त रहे, सम्वत् 2059 से 2062 में अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इसी दौरान उक्त आराजीयात माफी मन्दिर श्री दयाल जी वाके किशनगढ के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता स्व. टीकूडा पुत्र जीवण के नाम कब्जे काश्त अनुसार कानूनन जांच पड़ताल कर दर्ज की गई और टीकू उर्फ टीकूडा की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उसके विधिक वारिस अपीलान्ट के नाम दर्ज रही, उक्त आराजीयात सम्वत् 2011 से 2029 भू–प्रबंध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में टीकूडा वल्द जीवण के नाम अंकित थी, जिस पर अपीलान्ट के पूर्वज एवं उनके बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो पुख्ता मकानात स्थापित कर निवास करते चले आ रहे हैं, उक्त सभी तथ्यों को दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षैत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सम्वत् का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2567 दिनांक 02.08. 2004 को माफी मन्दिर श्री दयाल जी महाराज सा. देह के नाम तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि, विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जानें योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.क–3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 जो राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर से जारी किया हैं एवं उक्त परिपत्र में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीरी के अधिकरण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा कादीमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्ताराधिकार योग्य होने के कारणं ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगें फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की जागीर की भूमि थी उक्त जागीर के उन्मूलन हो जाने के पश्चात् जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के प्रभाव से टीकूडा काश्तकार होने से वह खातेदार काश्तकार हो गया था तब मंदिर का कोई हक अधिकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

वादग्रस्त भूमि पर नही रहा था, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय मंदिर की खुदकाश्त भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर पुजारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति काश्तकार है तो वह व्यक्ति उस भूमि का खातेदार काश्तकार कहलायेगा, हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के तथ्य बखूबी चस्पा होते है, इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा भी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 मे भी इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा विधि विरूद्ध और बिना कोई रेफरेन्स किये वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 2567 स्वीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी एक अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य नामान्तरकरण संख्या 2567 को मात्र मियाद के आधार पर अपील खारिज कर यथावत रखा गया है जबकि अवैध व शून्य प्रभावी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कोई मियाद नही होती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.2018 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 2567 जो दिनांक 02.08.2004 को दर्ज करके तस्दीक किया गया है, के पूर्व हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया, न उनकी कोई सुनवाई की गई जबकि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व 135 में जो नामान्तरकरण के प्रावधान दिये गये हैं उनमें किसी व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार अन्तरण या अन्यथा किसी भूमि की प्राप्ति या स्वत्व प्राप्त करने की जानकारी तहसीलदार के समक्ष आने पर तहसीलदार ऐसी जानकारी के संबंध में जांच करने के पश्चात् अविवादित मामलों में जिनमें उत्तराधिकार अन्तरण या अन्यथा या स्वत्व प्राप्ति के मामलों में वार्षिक पंजीका में पंजीयन करेंगे किन्तु उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय उन नियमों की भी पालना नहीं की गई, इस कारण भी नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने जो नामान्तरकरण संख्या 2567 दिनांक 02.08.2004 को दर्ज कर तस्दीक किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि एक अन्य परिपत्र क्रमांक प–2(4)राजस्थान/4/90/137 दिनांक 31.12.1991 जो राज्य सरकार ने जारी किया है, उक्त परिपत्र में भी मूर्ति मन्दिर की भूमि की विधिक स्थिति का भी विवेचन किया गया है तथा जमाबन्दी में खातेदार मूर्ति के साथ पुजारियों का नाम उल्लेख कर दिया गया है, ऐसे पुजारियों के नाम को हटाये जाने के निर्देश है, न कि खातेदारों के। इस कारण भी अधीनस्थ दोनो न्यायालयों की जो कार्यवाही है वह निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष एक रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 39/2018 बउनवानी नोपा बनाम सरकार प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया था कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह गलत है, नायब तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर तस्दीक किया गया है जिस पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है इसलिए अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं समझकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह रिव्यू किये जाने योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट के कथनों व दस्तावेज पर बिना गौर किये ही केवल मात्र निर्णय करने की गरज से अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2018 को खारिज कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने नकल हेतु दिनांक 23.10.2018 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 23.10.2018 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई है एवं अपीलान्ट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपीलें पेश की गई है जिसे जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर नरम रूख अपनाते हुये डिले कण्डोन कर देना चाहिए तथा इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 एवं 31.08.2018 को निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2567 आदेश दिनांक 02.08.2004 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन् 2004 से जमा नही करवाया गया है क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार

काश्तकार नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के दोनों अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 एवं 31.08.2018 में कोइ विधिक त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की दोनों अपीलें सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बनिधत मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 521, 524, व 539 मंदिर श्री दयाल जी माफी की जागीर में स्थित रही है एवं कृषक के खाना नम्बर पॉच में टीकूडा वल्द जीवण कोम जाट काश्तकार के रूप मे दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही थी तथा टीकूडा वल्द जीवण कि काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजसथान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निणर्य दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप मे प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नही है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भुमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगें तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाऐ जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो टीकूडा वल्द जीवण की खातेदारी में थी तथा उसके बाद टीकूडा के वारिस

अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है उसे नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के मंदिर श्री दयाल जी की खातेदारी में जरिये नामान्तररण संख्या 2567 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प.12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नही किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नही है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधिविरूद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 व 31.08.2018 पारित किये गये है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 एवं 31.08.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 2567 वाके ग्राम रेनवाल पर नायब तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

-: संशोधन आदेश :-

आदेश दिनांक 07/9/2021 के अनुसरण में निर्णय के पृष्ठ संख्या 6 पर नायब तहसीलदार कालवाड़ के स्थान पर उप तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल संशोधित किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर 07/9/21